न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 152/2024 दायर तारीख 29.11.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

राधेश्याम पुत्र विजयराम जाति मीणा निवासी सलावटियां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां।
2. मुकेश धाकड़– अधिवक्ता प्रतिवादी।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–13 /10/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सतकुडिया पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर गैर कृषि कार्य कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि पर अवैध खनन होकर खड्डा हो रहा हैं जिसके अक्षांश 25.08548482^0 व देशान्तर 75.39274035^0 हैं। भूमि पर अवैध खनन होकर खड्डा होने से यह प्रतीत होता हैं कि खातेदार सद्भावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादी की ग्राम सतकुडिया पटवार मण्डल रेसुन्दा स्थित आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 09.09.2025 को अधिवक्ता विपक्षी ने NO Instruction किया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

शेष पेज संख्या 02 पर

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम सतकुंडिया पेश किया जो प्रदर्श–1 हैं, ग्राम सतजकुंडिया प0ह0 रेसुन्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रदर्श–2 हैं,नक्शा ट्रेश प्रदर्श–3 हैं, खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी प्रतिलिपि प्रदर्श–4 हैं, जीपीएस मेप फोटा प्रदर्श–5 हैं, जीपीएस मेप फोटा प्रदर्श–6 हैं पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल प्रजापत पटवारी प0ह0 रेसुन्दा के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 ने पी–डब्ल्यू– 1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल प्रजापत पटवारी प0ह0 रेसुन्दा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम सतकुंडिया प0ह0 रेसुन्दा की आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि राधेश्याम पुत्र विजयराम जाति मीणा निवासी सलावटिया के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं। दिनांक 18.11.2024 को उक्त भूमि का निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार करना बताया हैं। जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं संलग्न दस्तावेजो पर प्रदर्श अंकित किया गया।

प्रकरण में वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

प्रकरण में पैराकार सरकार की बहस एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सतकुडिया पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 10 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – . अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 152 / 2024 दायर तारीख 29.11.2024

अनवान

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम

राधेश्याम पुत्र विजयराम जाति मीणा निवासी सलावटियां, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13 / 10 / 2025

डिक्री दिनांक 13 / 10 / 2025

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सतकुडिया पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 352 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाऐं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 10 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां